

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ.750 सीसी/स्वा.का.पु./2017/

दिनांक :

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
राजस्थान।

विषय: 18 माह एवं 12 माह का प्रशिक्षण प्राप्त सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को न्यायिक निर्णयों के संबंध में देय ग्रेड पे बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि 18 माह एवं 12 माह प्रशिक्षण प्राप्त सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष को न्यायिक निर्णयों की पालना में स्वीकृत किये गये चयनित वेतन श्रृंखला/एसीपी आदेशों में दिनांक 25.1.92 से निम्नानुसार चयनित वेतनमान देय है :-

सं.	विवरण	वेतनमान 1988	वेतनमान 1998
1.	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि से 9 वर्ष पश्चात	1200-2050	4000-6000
2.	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि से 18 वर्ष पश्चात	1400-2600	5000-6000
3.	प्रथम नियमित नियुक्ति तिथि से 27 वर्ष पश्चात	1640-2900	5500-9000

पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में 1.1.2006 से वेतन निर्धारण पश्चात स्वीकृत ग्रेड पे की एसीपी आगामी ग्रेड पे देय है। अतः ऐसे प्रकरण में निम्न प्रकार चयनित वेतनमान/ एसीपी देय है :-

सं.	विवरण	वेतनमान
1.	9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान	1200-2050 / 4000-6000
2.	18 वर्षीय द्वितीय एसीपी पुनरीक्षित वेतनमान 2008 में दि. 1.7.2013 से	5200-20200 ग्रेड पे 2800 9300-34800 ग्रेड पे 3600
3.	27 वर्षीय सेवा पर तृतीय एसीपी (पुनरीक्षित वेतनमान 2008 संशोधित में)	9300-34800 ग्रेड पे 4200

अतः उक्तानुसार न्यायिक निर्णयों की पालना में वेतन नियतन करावें एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के सीधी भर्ती से नियुक्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुरुष के संबंध में गलत वेतन निर्धारण कर भुगतान की गई अधिक राशि की नियमानुसार वसूली की कार्यवाही कर अवगत करावें।




( राकेश शर्मा )

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

क्रमांक:एफ.750 सीसी/स्वा.का.पु./2017/1104

दिनांक : 19/6/17

प्रतिलिपि-प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि पत्र को संबंधित अधिकारी की ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर